न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/230

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भूर सिंह आयु 72 वर्ष जाति राजपूत ।
2. स्वरूप सिंह पुत्र श्री भूर सिंह आयु 67 वर्ष जाति राजपत निवासीगण ग्राम कौरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सोजी लाल पुत्र श्री रूपा आयु 62 वर्ष जाति बैरवा ।
2. नर्बदा पुत्री श्री रूपा आयु 52 वर्ष जाति बैरवा निवासीगण ग्राम कौरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भू– स्वामी तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 11.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोरमा तहसील नैनवा में कुल किता 09 की रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम कोरमा में ही खसरा नम्बर 937 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 954 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि है । प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 937 अप्रार्थी संख्या 02 स्वरूप सिंह के खातेदारी की है व खसरा नम्बर 954

अप्रार्थी संख्या 01 लक्ष्मण सिंह के खाते की भूमि है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 की भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता बाछोला से कोरमा के ग्रेवल रोड से फटकर खसरा नम्बर 954 के उत्तरी मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 937 में होता हुआ प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 919 में पहुंचता है । प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है । इस रास्ते से प्रार्थीगण सैकडों वर्षों से आवागमन हो रहा है जिसका सुखाधिकार भी प्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है । वादग्रस्त रास्ता 15 फीट चौडा है जिसे आवागमन में परेशानी होती है जिसे करीब 25 फीट चौडा किये जाने की आवश्यकता है । वादग्रस्त रास्ता वर्तमान में नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं कर रखा है । इस कारण अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गई है और वह रास्ते में आने–जाने में रूकावटे पैदा करने लगे हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को 25 फीट चौडा किया जावे, नक्शा ट्रेस में रास्ते को दर्ज किया जावे जितनी भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की आती है उसका युक्तियुक्त प्रतिकर प्रार्थीगण से लिया जावे । अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ते के प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट खानपुरा में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 11.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 937 रकबा 14.07 बीघा में से होकर 64 गठ्ठे (426.24 फीट) लम्बाई तथा 02 गठ्ठे चौडाई जिसका क्षेत्रफल 128 वर्ग गठ्ठा अर्थात् 6.51 बिस्वा भूमि पर जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 व 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर विचाराधीन प्रार्थना पत्र को अनदेखा कर उस पर किसी भी तरह से कोई निर्णय पातिर किये बिना सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है जबकि पत्रावली पर दिनांक 06.11.2020 को सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा मौका देखा जाकर मौके की स्थिति व वैकल्पिक रास्ते के बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पत्रावली पर आना शेष था न तो रिपोर्ट पत्रावली पर आई और न ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ । परीक्षण न्यायालय ने नियत तिथि से पूर्व कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज कर नोटिस जारी किये थे । जानकारी होने पर दिनांक 08.08.2019 को जरिये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय में दिनांक 06.11.2020 को रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवा को मौका देखने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया । पत्रावली इंतजार रिपोर्ट में दिनांक 06.09.2021 तारीख पेशी नियत थी । जिसके बाद आगामी पेशी दिनांक 23.12.2021 दी गई परन्तु उक्त पत्रावली को दिनांक 11.10.2021 को कैम्प कोर्ट खानपुरा में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने पूर्व में रास्ता होने के तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है जो प्रस्तुत जवाब में नक्शा परिशिष्ट "ब" में लाल स्याही से रास्ता 15 फीट चौडा रेस्पोडेन्ट के खेत पर बने हुए मकान पर जाता है, को दर्शाया गया था । उक्त रास्ता राजकीय सरकारी भूमि पर बना हुआ है । वर्तमान में रास्ता होते हुए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 01 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । परीक्षण न्यायालय में अप्रार्थी कम 02 का पुत्र हनुमान सिंह के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । परीक्षण न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज कर नोटिस जारी किये थे । परीक्षण न्यायालय में दिनांक 06.11.2020 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली प्रार्थना पत्र में रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवा को मौका देखकर मौके पर अन्य रास्ता उपलब्ध होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट हेतु लिखा जावे तथा पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट में लम्बित थी तथा तहसीलदार नैनवा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 30.03.2021 को रिपोर्ट हेतु तहसीलदार नैनवा को लिखा जाना अंकित किया है । परीक्षण न्यायालय में दिनांक 06.09.2021 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.12.2021 नियत की परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 11.10.2021 को इसे प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट खानपुरा में रखते हुए निर्णित कर दिया ।

11. परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को कैम्प कोर्ट की सूचना दिये बिना कैम्प कोर्ट में ले जाकर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । मौका रिपोर्ट दिनांक 09.10.2021 की है से भी भी स्पष्ट नहीं है कि अप्रार्थीगण को सूचना दी गई अथवा नहीं ? अप्रार्थी कम 01 की कभी तलबी नहीं हुई । अप्रार्थी कम 02 को कैम्प में उपस्थित होने की कोई जानकारी नहीं दी गई । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.09.2021 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी करने की मुहर अंकित है, परन्तु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 11.10.2021 को ही तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में अप्रार्थी कम 02 अपीलान्ट की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्ररकण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्ति के 45 दिवस के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा